

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Rohtak Year (वर्ष): 2026

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0003

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):
09/02/2026 15:26 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7A

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Monday

Date from (दिनांक से):
09/02/2026

Date To (दिनांक तक):
09/02/2026

Time Period (समय अवधि): Pahar
4

Time From (समय से): 11:40
hrs

Time To (समय तक): 11:40
hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):


Date (दिनांक):
09/02/2026

Time (समय): 15:10
hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 011

Date and Time (दिनांक और समय):
09/02/2026 15:12
hrs



4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): EAST, 40 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): नियर झरौंठी टोल खरखौदा सोनीपत,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): अनिल

(b) Father's Name (पिताका नाम): श्री कृष्ण

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1991

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	गांव सिसाना, थाना खरखौदा, जिला सोनीपत, KHARKHODA, SONIPAT, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	गांव सिसाना, थाना खरखौदा, जिला सोनीपत, KHARKHODA, SONIPAT, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-7876760043

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	श्रीमति सुदेश पटवारी			1. कार्यालय ब्लाक खरखौदा, जिला सोनीपत SONIPAT, HARYANA, INDIA
2	कृष्ण कैंटीन संचालक			1. कार्यालय ब्लाक खरखौदा, जिला सोनीपत SONIPAT, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))


10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में



निरीक्षक

राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

सोनीपत

श्रीमान जी,

सविनय निवेदन यह है कि मैं अनिल पुत्र श्री कृष्ण वासी गांव सिसाना थाना खरखौदा जिला सोनीपत का स्थाई निवासी हूँ। मैं खेतीबाड़ी का कार्य करता हूँ। हमारे गांव में 25 वर्ष पुरानी पंचायती जमीन ठोला रूप पाना कासलान में करीब 450 गज हमारे पास है। हरियाणा सरकार द्वारा कुछ महिने पहले घोषणा की गई थी कि हरियाणा राज्य में स्थित पंचायती जमीन जिस पर कोई भी व्यक्ति 20 वर्ष से ज्यादा समय से काबिज है। वह 2004 के कलैकेटर रेट के डेढ गुणा फीस भरकर अपने नाम रजिस्ट्री करवा सकता है। जिस पर जब मैं हमारी गांव की ब्लाक पटवारी श्रीमति सुदेश से इस सम्बन्ध में दिनांक 06.02.2026 को समय करीब 01 Pm पर उसके कार्यालय में मिला तो सुदेश पटवारी ने इस सम्बन्ध में रिपोर्ट तैयार करने की एवज में मुझसे 25 हजार रुपये रिश्त की मांग की और बाद में हमारे बीच में 20 हजार में सौदा तय हो गया। मैंने इसकी रिकार्डिंग आमने-सामने बैठकर अपने फोन में कर ली थी। उसके बाद श्रीमति सुदेश पटवारी ने मेरे सामने ब्लाक कार्यालय खरखौदा में चाय की कैंटीन चलाने वाले कृष्ण को 20 हजार रुपये रिश्त देने को कहा। जब मैं उसी दिन कृष्ण चाय वाले से मिला तो उसने कहा कि मैं मैडम से बातचीत करके बताता हूँ। फिर कृष्ण चाय वाले ने कहा कि मेरी पटवारी मैडम से बात हो गई है। लेकिन मैडम ने कहा कि आनलाईन पैमेन्ट मत लेना। कृष्ण ने कहा कि मुझे तो इसमें से 1000 रुपये ही मिलने हैं। बाकि 19000 रुपये पटवारी मैडम को देने हैं। उस भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी श्रीमति सुदेश ब्लाक पटवारी खरखौदा ने 20 हजार रुपये की रिश्त राशि लेने के लिये आज बुलाया है। मैं उस भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी को रिश्त के पैसे नहीं देना चाहता। मेरी और श्रीमति सुदेश ब्लाक पटवारी खरखौदा की इससे पहले आपस में ना तो कोई जानकारी है और नाहि हमारे बीच आज तक मेरे से मांगी गई रिश्त राशि के अलावा पैसे का कोई लेन-देन नहीं हुआ है। मेरे और सरकारी कर्मचारी श्रीमति सुदेश ब्लाक पटवारी खरखौदा के बीच रिश्त बारे हुई कुछ बातचीत को मैंने अपने फोन One Nord CE3 में रिकार्डिंग की हुई है। जिसको मैं बाद में आपको पेश कर दूंगा। अतः सरकारी कर्मचारी श्रीमति सुदेश पटवारी खरखौदा व उसके मध्यस्ता करने वाले कृष्ण कैंटीन संचालक कार्यालय ब्लाक खरखौदा दोनों के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की जाए। हस्ता अंग्रेजी Anil

अनिल पुत्र श्री कृष्ण, वासी गांव सिसाना

थाना खरखौदा, जिला सोनीपत

Ph-7876760043

दिनांक 09.02.2026



कार्यवाही पुलिस:- आज मन निरीक्षक मय अपने सहयोगी स्टाफ ASI कपिल न0 12/JJR, LASI रेनु 1581/सोनीपत, EASI राकेश 877/SPT, EASI सन्दीप 637/SPT व E/SI सुभाष न0 1118/PPT मय प्राईवेट /सरकारी गाडी के हाजिर कार्यालय राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उप-केन्द्र सोनीपत मौजूद हूँ, कि अनिल S/O श्री कृष्ण वासी गांव सिसाना थाना खरखौदा जिला सोनीपत ने हाजिर आकर मेरे सम्मुख दरखास्त पेश की और अपने व आरोपिया श्रीमति सुदेश ब्लाक पटवारी खरखौदा के बीच रिश्त लेन-देन बारे हुई बातचीत की रिकार्डिंग को अपने फोन में सुनाया है। मन निरीक्षक द्वारा उक्त सुचना बारे उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया जिन्होंने शीघ्र कानूनी कार्यवाही करने बारे कहा। जो दरखास्त एवं रिकार्डिंग के मजबुन से सरदस्त सुरत जुर्म 77A PC ACT व का घटित होना पाया जाने पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त सिपाही कपिल 185/सोनीपत के थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक भेजी जा रही है, बाद करने दर्ज मुकदमा नम्बर पर्चा से सुचित किया जाए स्पैशल रिपोर्ट अफसरान बाला व ईलाका मजिस्ट्रेट साहब को भेजी जाए। मेरे द्वारा एक दरखास्त बराये नियुक्त करवाने राजपत्रित अधिकारी/स्वतन्त्र गवाह पुलिस अधीक्षक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक को भेजी जा रही है। बाद होने नियुक्त राजपत्रित अधिकारी स्वतन्त्र अधिकारी गवाह से सम्पर्क करके नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। हस्ता अंग्रेजी Jagjeet insp

अज:- नियर झरौंठी टोल खरखौदा सोनीपत रोड

जगजीत सिंह (निरीक्षक)

राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

रोहतक मण्डल रोहतक

दिनांक 09.02.2026

AT.11.40 AM


अज थाना- हस्ब आमदा तहरीर प्राप्त होने पर मु0 न0 03 दिनांक 09.02.26 धारा 7,7A P.C Act थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक दर्ज रजिस्टर किया जाकर कम्प्यूटर प्रतिया तैयार कि गई अफसरान बाला व इलाका मैजिस्ट्रेट साहब सोनीपत को बजरीया स्पैशल मैसेन्जर/मेल दवारा सूचना दी गई व मुकदमा हजा की स्पैशल रिपोर्ट नियमानुसार तैयार करके इलाका मैजिस्ट्रेट साहब सोनीपत को देने के लिये व नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर हवाले आरिन्दा बदस्त सिपाही कपील न0 185/सोनीपत की जाकर खाना अनुसंधानकर्ता का किया गया तथा मुनासिब हिदायत दी गई । उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक निरीक्षक राजाराम न0 531/H की हाजरी मे दर्ज रजिस्टर किया गया है ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): JAGJEET Rank (पद): I (Inspector) SINGH
No. (सं.): 2141SPT to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)



Raja Ram

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Raja Ram

Rank (पद): Inspector

No. (सं.): 531/H

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.